

बिहार राज्य सहयोग कय-विकय संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

श्री रवीन्द्र कुमार लडापक नं०३२-पबपत्रजब
अधिप्राप्ति-केन्द्र न्यापडी (पटना) के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब मुख्यालय
आदेशों यथा-ज्ञापांक-के०ले०/बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं ज्ञापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.
2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹.2,7,2,60,200 की
अवैध निकारी करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से विलम्बित
किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।
2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय 92 नं० प्रदीप कर्पा लघु, बिस्कोमान,
सुदनी मिथलाशिम
निर्धारित किया जाता है।
3. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

2/6/14
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक- न्यापडी-20/11/2013 दिनांक- 8-1-2014

- प्रतिलिपि:-
1. श्री रवीन्द्र कुमार लडापक नं०३२, सोमना डिपो
बिस्कोमान (पटना) को
सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए, उन्हें निदेश दिया जाता है
कि नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार अपने जिम्मे का प्रभार सौंपेंगे।
 2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्याथ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उनके जिम्मे का प्रभार
अपने अधीनस्थ कार्मिक को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
 3. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
 4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
 5. प्रभारी कम्प्यूटर कोर्पांग/एन० डाटा ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ।
 6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/6/14
सचिव
Ca
6/1/14